न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 12/2019

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956)

ग्राम पंचायत भदूण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भदूण पंचायत समिति किशनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर। ....*वादी*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर। ...... *प्रतिवादी*

उपस्थित :– श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक , प्रतिवादी की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक :– 17.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भदूण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भदूण तहसील रूपनगढ़ ने ग्राम भदूण स्थित आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा (0.3559है0) किस्म गैमु श्मशान का राजस्व रिकॉर्ड एकीकरण जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2019 के अनुसार छापर/आबादी होने से इन्द्राज दुरूस्ती करवाने हेतु यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत भूमि ग्राम भदूण में सावर्जनिक उपभोग की आराजी है। एकीकरण जमाबन्दी में उक्त आराजी के खसरा नम्बर 703 रकबा 02–04–00 बीघा, वर्किंग जमाबन्दी में उक्त आराजी के खसरा नम्बर 324 रक़बा 02–04–00 बीघा तथा वर्तमान जमाबन्दी में उक्त आराजी के खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा (0. 3559है0) बने है।एकीकरण की कार्यवाही संवत 2010 से संवत 2019 तक हुई। उस समय, तहसील किशनगढ़ जयपुर जिले का भाग थी तथा वर्तमान में अजमेर जिले का भाग है। रोटेशन जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 में उक्त खसरा नम्बर की आराजी का गलत इन्द्राज श्मशान किया गया। ग्राम भदूण की एकीकरण जमाबन्दी में खसरा नम्बर 703 रकबा 02–04–00 बीघा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त खसरा नम्बर पर ग्राम भदूण की आबादी बसी हुई है तथा समस्त ग्रामवासियान के मकान, पशुधन व कृषियन्त्र रखने हेतु बाड़े, नोहरे बने होकर मौके पर भौतिक रूप से आबाद चली आ रही है, जो कि एकीकरण जमाबन्दी संवत 2010 से 2019 के खाता सं 38 कॉलम संख्या 4 से स्वयंसिंद्ध है। ग्राम भदूण के समस्त समाज के श्मशान, एकीकरण जमाबन्दी के खसा नम्बर 173 रकबा 48–11–00, वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बर 173/1 रकबा 37–01–00 बीघा व 173/2 रकबा 11–10–00 बीघा के भाग में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 688/173 रकबा 1.8607 किस्म गैमु श्मशान में दर्ज है। प्रार्थनापत्र में एकीकरण जमाबन्दी संवत 2010 से 2019 के आधार पर ग्राम भदूण की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा (0.3559है0) किस्म गैमु श्मशान की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में छापर/आबादी करने का

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

निवेदन किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी के नाम नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार रूपनगढ़ से विवादित भूमि की वस्तुस्थिति/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कथन किया कि जमाबन्दी संवत 2020 मुर्तिब करते समय विवादित आराजी की किस्म शमशान अंकित कर दी गयी एवं जमाबन्दी संवत 2041 को मुर्तिब करते समय भी कॉलन नम्बर 4 में श्मशान भूमि का अंकन बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश किया गया। उन्होने कथन किया कि ग्राम भदूण की वर्तमान जमाबन्दी के सिवायचक खाते के खसरा नम्बर 335, 284, 285 व 324 को आबादी विस्तार हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 335, 284 व 285 को आबादी घोषित किया गया एवं खसरा नम्बर 324 को राजस्व रिकॉर्ड में किस्म श्मशान होने के कारण आबादी घोषित नही किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 324 अन्य आबादी घोषित किये गये खसरा नम्बर 335, 284 व 285 से चिपकता हुआ ही है तथा मौके पर घनी आबादी बसी हुई है। उन्होने कथन किया कि ग्राम भदूण के वर्तमान खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा को यदि सिवायचक खाते की गैर मुमकिन छापर भी माना जाता है तो प्रार्थी ग्राम पंचायत नियमानुसार उसकी प्रीमियम राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है। अन्त में उन्हाने एकीकरण जमाबन्दी संवत 2010 ी 2019 के आधार पर ग्राम भदूण की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 324 की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में छापर/आबादी करने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि रिकॉर्ड अनुसार प्रश्नगत भूमि, ग्राम भदूण की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 324 रकबा 0.3559है0 पर पूर्व समय से ही ग्राम की आबादी बसी हुई है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि की किस्म गैमु श्मशान दर्ज है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में भी उक्त खसरा नम्बर पर आबादी बसी हुई है, अतः प्रार्थी ग्राम पंचायत का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, प्रार्थनापत्र एवं लिखित प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रूपनगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भदूण की एकीकरण जमाबन्दी संवत 2020 के खाता सं 1 में बिलानाम गैर काबिज काश्त चराई योग्य भूमि में खसरा न 324 रकबा 02–04–00 बीघा किस्म गैमु छापर बिलानाम दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी में खाता सं 1 में खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा किस्म श्मशान दर्ज है। इसी प्रकार एकीकरण जमाबन्दी संवत 2020 के खाता सं 1 में खसरा नम्बर 173 रकबा 48–11–00 बीघा किस्म बारानी दोयम बिलानाम दर्ज जो वर्किंग जमाबन्दी के खाता सं 1 में खसरा नम्बर 173/2 रकबा 11–10–00 बीघा किस्म श्मशान बिलानाम दर्ज है। ग्राम भदूण के वर्तमान खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा (0.3559है0) किस्म गै मु श्मशान सिवायचक खाता सं 1 में दर्ज है तथा इसी के साथ वर्तमान खसरा नम्बर 688/173 (पुराना खसरा नम्बर 173/2) रकबा 11–10–00 बीघा (1.8607है0) किस्म गैमु श्मशान सिवायचक खाता सं 01 में रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 324 रकबा 02–04–00 बीघा (0.3559है0) किस्म गै मु श्मशान पर वर्तमान में लगभग 10 परिवार के लोगों के मकान व बाड़े मौके पर बने हुए है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 324 शमशान के रूप में उपयोग में नहीं आ रही है तथा मौके पर किसी भी समाज के श्मशान नहीं बने हुए है। रैगर समाज का सामुदायिक भवन भी उक्त खसरा नम्बर 324 में स्थित है एवं यह खसरा नम्बर ग्राम की मुख्य आबादी की सीमा से लगवा है। वर्तमान खसरा नम्बर 688/173 (पुराना खसरा नम्बर 173/2) रकबा 11–10–00 बीघा (1.8607है0) किस्म गैमु श्मशान की

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर
अपर कलक्टर,
अजमेर

भूमि वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार श्मशान के उपयोग में आ रही है जिस पर सभी समाज के श्मशान मौके पर बने हुए है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी ग्राम पंचायत भदूण द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को निर्देशित किया जात है कि ग्राम भदूण की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–2075 (संवत 2075 वर्ष 2019 से स्थायी) के खाता संख्या नवीन 1 में स्थित खसरा नम्बर रकबा 0.3559है9 किस्म गैमु श्मशान की राजस्व रिकॉर्ड में किस्म दुरूस्ती की जाकर ''गैमु छापर'' अंकित किये जाने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावे।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
[illegible]
अपर कलक्टर, अजमेर